21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण: रणनीतियाँ एवं चुनौतियाँ

संपादक समूह

प्रो. (डॉ.) चंद्रकांत बन्सीधर भांगे
श्रीमती कांता वर्मा, देविदास विजय भोसले
डॉ. वी.एम. सुनीला श्याम, डॉ. अनीता चौधरी
डॉ. दिप्ती चौरागडे, कल्पना एस. गोडघाटे

भारती पब्लिकेशन्स
नई दिल्ली-110002

10

भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं का प्रवेश और महिला सशहिकरण

प्रो. डॉ. चंद्रकांत बन्सीधर भांगे*,
श्री देविदास विजय भोसले**

प्रस्तावना: स्त्री को सर्जन माना जाता है यानी नारी मानव जाति का अस्तित्व है। इसलिए महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक, विचार, आस्था, धर्म और पूजा की पूरी आजादी दी जानी चाहिए। महिलाओं को रोजगार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए ताकी स्त्री पूर्ण रूप से सक्षम और बलवान होगी। आज भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढाव योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता, महिला शक्ति केंद्र और पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही कुछ प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजनाएं हैं। इन सब योजनाओ के बाद भी भारत मे एक क्षेत्र ऐसा है जहा इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। वह क्षेत्र है सैन्य या सशस्त्र बल आजतक इस क्षेत्र में समग्र रूप से पुरुष वर्चस्व माना जाता है। हाल के दिनों में, भारत के सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के प्रवेश के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। इस निर्णय से महिलाओं के लिए उच्चतम स्तर पर सैन्य करियर बनाने का द्वार खोल दिया है। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण और लैंगिक असमानता कम करने की दिशा में एक पहल साबित होगा। इस संशोधन में, महिला मुक्ति और लिंग पूर्वाग्रह की अवधारणाओं से परे जाकर इस मामले का संपूर्ण विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह शोध एक भारत के सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर महिला सशक्तिकरण की दृष्टी से विचार करता है। भारत के सशस्त्र बलों का दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र बलों में नाम आता है। महिलाएं अधिकारियों के रूप में सेवा करने में सक्षम हैं, लेकिन इस विषय में उनका लाभ सीमित था।

* प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, सैन्य विज्ञान विभाग, श्री शिवाजी कॉलेज परभणी

** सहायक प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, रक्षा एवं समारिक अध्ययन विभाग, तुळजाराम चतुरचंद कॉलेज बारामती

अध्ययन का उद्देश्य:

1) महिला मुक्ति और लिंग पूर्वाग्रह की अवधारणाओं से परे जाकर महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में भारत के सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश का विश्लेषण करना।

2) भारत के सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश और महिला सशक्तीकरण मुद्दों का विवेचन करना।

शोध पद्धति: वर्तमान अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। इसलिए, आवश्यक डेटा विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए हैं जैसे कि, प्रासंगिक शोध पत्र, समाचार पत्र लेख और वेबसाइट।

पृष्ठभूमि: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में भी महिलाओं ने भारत के सशस्त्र बलों में सेवा दी है। उन्हें दो विश्व युद्धों के दौरान नों के रूप में तैनात किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के नर्सिंग स्टाफ ने एक शानदार भूमिका निभाई और युद्ध के समय में उनका समर्पण इतना प्रभावशाली था कि उसकी वजह से तत्कालीन सेना के शीर्ष अधिकारियों को एक विशेष महिला सहायक कोर के गठन के साथ महिला विंग को और विस्तारित करने और सुदृढ़ करने के लिए आश्वस्त किया, जो महिला कर्मियों को प्रशासन, दूरसंचार, लेखा, आदि जैसे गैर-लड़ाकू पदों पर सेवा करने की सुविधा प्रदान करेगा। ब्रिटिश शासन काल में, ब्रिटिश भारतीय सेना, हालांकि सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने के विचार के प्रति बहुत ग्रहणशील थी, लेकिन महिलाओं की भागीदारी को मुख्य रूप से गैर-लड़ाकू भूमिकाओं तक सीमित थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में एक विशेष महिला लड़ाकू रेजिमेंट (झांसी की रानी रेजिमेंट) में महिलाओं को तत्कालीन बर्मा में इंपीरियल जापानी सेना के खिलाफ युद्ध के मैदान में लड़ते देखा गया। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की उपस्थिति ने पहली बार 1888 में भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा के निर्माण के साथ आकार लिया। 1990 के दशक की शुरुआत से, अदालती मामलों के जवाब में, महिलाएं सशस्त्र बलों की शिक्षा और कानूनी विभागों में शॉर्ट-सर्विस कमीशन के लिए पात्र हो गयी हैं।

अगले कुछ वर्षों में, महिलाओं को इंजीनियरिंग, गुप्तवार्ता विभाग और रसद सहित आठ अतिरिक्त विभागों तक पहुंच प्राप्त हुई थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री नरसिम्हाराव एवं रक्षा मंत्री शरद पवार ने विरोध के बावजूद महिलाओं के लिए सेना में सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। 2007 में, भारतीय महिला अधिकारियों ने युद्ध के बाद लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला शांति सेना के रूप में कार्य किया है। हाल के वर्षों में, 2016 में भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स और 2019 में सेना पुलिस सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की पहुंच व्यापक हुई है। भारत के सशस्त्र बलों का दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र बलों में नाम आता है। महिलाएं अधिकारियों के रूप में सेवा करने में सक्षम हैं, लेकिन उच्च नेतृत्व के अवसर सीमित थे। केवल पुरुष 17 साल की उम्र में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाकर सशस्त्र बलों में प्रवेश कर सकते हैं, यह चार साल का कार्यक्रम है जो भारत के सैन्य नेतृत्व का मूल प्रदान करता है। कॉलेज से स्नातक होने के बाद महिलाओं को कम प्रतिष्ठित, 11 महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से शामिल होने की अनुमति दी गई थी। उठने के कम अवसरों के साथ, बहुतों को अपनी इच्छा से पहले सेना छोड़नी पड़ी। विकसित देशों के सशस्त्र बलों में महिलाएं लंबे समय से सेवा कर रही हैं और उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने महिलाओं के मुद्दों की एक ऐसी समझ हासिल कर ली है जो बेजोड़ है।

समकालीन रुझान: महिलाओं ने दशकों से अदालतों में मर्यादाओं को चुनौती दी है। दो साल पहले, सरकार महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए सहमत हुई थी, लेकिन महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला देते हुए केवल उन अधिकारियों को जिन्होंने 14 साल से कम सेवा की है। हिंदुस्तान टाइम्स, 9 फरवरी, 2021 अनुसार, पिछले छह वर्षों में सेना में महिलाओं की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है, उनके लिए स्थिर गति से और अधिक रास्ते खोले गए हैं, जैसा कि नवीनतम सरकारी आंकड़ों से पता चलता है। सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि वर्तमान में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में 9,118 महिलाएं हैं, जो उन्हें करियर की प्रगति को बढ़ावा देने के अधिक अवसर प्रदान करती हैं। तब से, सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें उन्हें लड़ाकू विमान, नौसैनिक विमान उड़ाने और विभिन्न शाखाओं में स्थायी कमीशन देने की अनुमति शामिल है। यदि रक्षा आंकड़ों की बात करें, तो भारतीय स्थलसेना में 6,807 महिलाएं हैं और पूर्ण स्थलसेना का 0.56 प्रतिशत हिस्सा है, भारतीय वायु सेना में 1,607 महिलाएं हैं जो पूर्ण वायुसेना का 1.08 प्रतिशत हिस्सा है और भारतीय नौसेना में 704 महिला अधिकारी हैं, जो पूर्ण नौसेना का 6.5 प्रतिशत हिस्सा हैं। अगर हम तीनों रक्षा प्रतिष्ठानों में महिला अधिकारियों की संख्या पर विचार करें, तो कुल 9,118 महिलाएं सक्रिय ड्यूटी पर हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सैन्य पुलिस कोर में 1700 महिलाओं को जवानों के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।

भविष्यकालीन राह: सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने महिलाओं के लिए रक्षा अकादमी के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से भविष्य में पहली महिला सेना प्रमुख बन सकती हैं। संरचनात्मक बदलावों के अलावा, लोगों के नजरिए में भी बदलाव की जरूरत है, जहां अधिकारियों की रैंक देखी जानी चाहीए ना कि उनके लिंग के लिए। आने वाले वर्षों में, मुझे विश्वास है कि सशस्त्र बलों की महिला कर्मी अपनी काबिलियत साबित करेंगी और उन कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल पर भरोसा करके खुद के लिए एक जगह बनाएंगी, जिन्हें भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने कई वर्षों के गहन अवलोकन और अनुसंधान के दौरान विकसित किया है।

संदर्भ:

1. SUBHASISH CHAKRABORTY (19 SEPTEMBER 2021) "Women in Indian armed forces She is unique! An initiative on women's empowerment, https://wsimag-com/economy-and-politics/66942-women-in-indian-armed-forces-she-isunique
2. Hari Kumar and Emily Schmall (22 Sep 2021) "India opens highest military ranks to women after lengthy fight, https://bdnews24-com/society/2021/09/22/india-openshighest-military-ranks-to-women-after-lengthy-fight
3. MTUpdated: 12 May 2019, 4:00 am Wocheta hediat qur as eest https://maharashtratimes-com/maharashtra/pune-news/the-full-time-opportunity-forwomen-in-the-army/articleshow/69284082-cms.